न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 34/19

तारीख रजू:– 05.04.19

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

कैलाश सिंह पुत्र सिरमोहर सिंह जाति गूर्जर निवासी सलेपुरा तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम।
2. ममता देवी पत्नि कैलाश सिह जाति गूर्जर निवासी सलेपुरा तहसील टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकासमा

उपस्थिति:– श्री दिलावर सिंह बैसला एडवोकेट (वादी)

निर्णय **दिनांक:– 20.8.2019**

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 299 रकबा 0.43 है0 ग्राम सलेपुरा मे वादी एवं प्रतिवादी न0 2 बहिस्सा 1/2–1/2 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है मौके पर बाहमी बटवारा हो रहा है। विधिवत बटवारा नही होने से आये दिन डौल–मेड पर विवाद बना हुआ है। बाका दिनांक 20.02.2019 का है कि वादी अपने हिस्से की आराजी को देखने गया तो देखा कि प्रतिवादीया न0 2 वादी के हिस्से मे आयी आराजी मे से मेड को तोडकर अपनी आराजी मे मिला रही थी। मना करने पर आग बबूला हो गयी और डोल–मेड तोडने पर आमदा हो गई इस कारण से दावा तकासमा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वावत तकास्मा पेश कर निवेदन है कि आराजी ख0न0 299 रकबा 0.43 है0 स्थित ग्राम सलेपुरा मे प्राथमिक डिक्री फरमाकर बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर अलग खाता कायम की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी गण बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादपत्र के समर्थन मे वादी ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। बाद सुनवाई दावा प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी एवं वादीवकील ने अवलोकन कर दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया।

वादी वकील की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–75 ग्रम सलेपुरा तहसील टोडाभीम की ख0न0 299 रकवा 0.43 है0 मे वादी हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है। मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः कैलाश सिंह पुत्र सिरमोहर जाति गूर्जर को ग्राम सलेपुरा की भूमि ख0न0 299/1 रकवा 0.22 है0 का [illegible] जाति गूर्जर को ख0न0 299 रकवा 0.21 है0 का खातेदार काश्तकार [illegible] जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। [illegible] रहेगा) निर्णय आज दिनांक 20.8.2019 को [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:52:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner